संख्या सा–3–1240/दस––927/81

प्रेषक,

जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन;

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊः दिनांक 26 जुलाई, 1982।

विषय––सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त सेवा में बनाये रखने की अनियमितता।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–3–1216/दस––917–78, दिनांक 22 जुलाई, 1978 की ओर आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि सरकारी सेवकों को अधिवर्षता की आयु के उपरान्त बगैर शासकीय अनुमति के सेवा में बनाये रखने की प्रवृत्ति को तुरन्त समाप्त किया जाये। यह भी आदेश दिये गये थे कि सरकारी सेवकों को उनकी अधिवर्षता की आयु के उपरान्त अनियमित रूप से सेवा में बनाये रखने के लिये दोषी पाये गये विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से, शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली की जायेगी।

2––खेद की बात है कि उपर्युक्त आदेशों के बावजूद अनेक ऐसे मामले आते रहे हैं जिनमें यह देखा गया है कि सरकारी सेवकों को अतिवयता आयु प्राप्त हो जाने पर भी सेवा में बनाये रखा जाता है तथा वे अपने पद का वेतन आदि आहरित करते रहते हैं। पहले भी यह बताया जा चुका है तथा पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि वित्तीय दृष्टिकोण से यह एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि कोई भी सरकारी सेवक अतिवयता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा में उसी दशा में रह सकता है जबकि उसे सेवा में बनाये रखने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। यह देखा गया है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में सेवा संबंधी रिकार्ड संतोषजनक रूप से न रखे जाने के कारण कभी-कभी सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में बने रह जाते हैं। सेवा संबंधी रिकार्ड एवं समय से पूर्व पेंशन कागज तैयार किये जाने के लिये शासन द्वारा कितने ही आदेश निर्गत किये गये हैं, परन्तु ऐसा आभास होता है कि उनमें निहित निर्देशों का वांछित कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की सेवा अनियमितता के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

3--अतएव मुझे आपस यह अनुरोध करना है कि आप अपने स्तर पर सरकारी सेवकों के सेवा रिकार्ड, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तथा निर्धारित समय के भीतर पेंशन कागज आदि तैयार करने की कार्यवाही स्वयं अपने निरीक्षण में करायें तथा सुनिश्चित कर कि कोई सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में न बना रहे।

4--यह भी स्पष्ट करना है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्वोक्त प्रकार के मामले घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की होगी तथा उस मामले में शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी की जायेगी। इस प्रकार की अनियमितता करने वाले दोषी सरकारी सेवक/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
सचिव।

संख्या सा-3-1240(1)/दस--927/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (तृतीय), इलाहाबाद।
2--सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3--सचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4--सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
भीष्म देव सिंह,
उप सचिव।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०-28 सा० (भाषा)-17-8-82-(1507)-1982-10,000 हिन्दी।